[जनरल इन्श्योरेन्स बिज़नेस (नेशनलाइज़ेशन) बिल, 1972 का हिन्दी अनुवाद]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972

खण्डों का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।
2. राज्य की नीति के बारे में घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

साधारण बीमा कारबार के स्वामित्व का जनसाधारण को अन्तरण

4. भारतीय बीमा कम्पनियों के अंशों का अन्तरण ।
5. अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों का अन्तरण ।
6. उपक्रमों के अन्तरण का प्रभाव ।
7. विद्यमान कर्मचारियों की सेवाओं का कुछ दशाओं में अन्तरण ।
8. भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण तथा अन्य निधियां ।

अध्याय 3

भारतीय साधारण बीमा निगम

9. भारतीय साधारण बीमा निगम का बनाया जाना ।
10. केन्द्रीय सरकार में निहित अंशों का निगम को अन्तरण ।

अध्याय 4

अर्जन के लिए रकमों का संदत्त किया जाना

11. अंशों या उपक्रमों के अन्तरण और निहित होने के लिए रकमों का संदत्त किया जाना ।
12. निगम द्वारा रकम का संवितरण ।
13. संदाय का ढंग ।
14. अंशधारकों को संदेय रकम का उनके बजाय नामित व्यक्तियों को कुछ दशाओं में दिया जाना ।
15. प्रतिकर के लिए परस्पर विरोधी दावों की दशा में न्यायालय में संदाय ।

अध्याय 5

साधारण बीमा कारबार के पुनर्गठन के लिए स्कीम

खण्ड

16. कम्पनियों के विलयन आदि के लिए स्कीमें ।
17. स्कीमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

अध्याय 6

निगम तथा अर्जक कम्पनियों के कृत्य तथा उनका प्रबन्ध

18. निगम के कृत्य ।
19. अर्जक कम्पनियों के कृत्य ।
20. लाभ के अतिशेष का उपयोग किस प्रकार किया जाए।
21. भारतीय बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध के लिए अन्तरिम उपबन्ध ।
22. कर्मचारियों का अन्तरण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
23. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अर्जक कम्पनियों का साधारण बीमा कारबार करने का अनन्य विशेषाधिकार होना ।
25. केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना भारत में स्थित सम्पत्तियों का विदेशी बीमाकर्ताओं से बीमा न कराया जाना।
26. अर्जक कम्पनियां और आय-कर ।
27. कुछ मामलों में बीमा की रकम कम करने की शक्ति ।
28. कुछ संव्यवहारों की बाबत अनुतोष पाने का अर्जक कम्पनी का अधिकार ।
29. सम्पत्ति का कब्जा और उससे सम्बन्धित दस्तावेजें परिदत्त करने का कर्तव्य ।
30. सम्पत्ति आदि विधारित करने के लिए शास्ति ।
31. निगम या अर्जक कम्पनियों के अधिकारियों या कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
32. क्षतिपूर्ति ।
33. निगम और अर्जक कम्पनियों का विघटन ।
34. अन्य विधियों में विद्यमान बीमाकर्ता के प्रति निर्देश ।
35. बीमा अधिनियम का लागू होना ।
36. छूट ।
37. रिक्तियों आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
39. नियम बनाने की शक्ति ।
40. 1971 के अधिनियम 17 की धारा 14 का लोप ।
अनुसूची ।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972

[जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के नीचे या पार्श्व में रेखाएं खिची है वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारांक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है]

जन-समुदाय के सर्वाधिक हितों में साधारण बीमा कारबार के विकास को सुनिश्चित करके वित्तीय आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह पूर्ति करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अर्थ-व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप धन का ऐसा संकेन्द्रण न हो जो सर्वसामान्य के अहित में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों तथा अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों के अंशों के अर्जन तथा अन्तरण का, ऐसे कारबार के विनियमन और नियंत्रण का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम। प्रारम्भ

5 1. * इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 है।

* * * *

राज्य की नीति के बारे में घोषणा।

2. एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिए है।

स्पष्टीकरण––इस धारा में "राज्य" का वही अर्थ है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 में है।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) "अर्जक कम्पनी" से कोई भारतीय बीमा कम्पनी अभिप्रेत है और, जहां कि किसी एक भारतीय बीमा कम्पनी के किसी अन्य में विलयन अथवा दो या अधिक ऐसी कम्पनियों के समामेलन को अन्तर्वलित करने वाली कोई स्कीम बनाई गई हो वहां वह भारतीय बीमा कम्पनी जिसमें किसी अन्य कम्पनी का विलयन हुआ हो अथवा वह कम्पनी जो समामेलन के परिणामस्वरूप बन गई हो, अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे जो 2 जनवरी, 1973 के बाद का दिन नहीं होगा ;

(ग) "कम्पनी अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है ; 1956 का 1

(घ) "बीमा निगम" से धारा 9 के अधीन बनाया गया भारतीय साधारण बीमा निगम अभिप्रेत है ;

(ङ) "विद्यमान बीमाकर्ता" से हर ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसके उपक्रम का प्रबन्ध साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया हो और इसके अन्तर्गत जीवन बीमा निगम का उपक्रम वहां तक है जहां तक कि वह उसके द्वारा चलाए जाने वाले साधारण बीमा कारबार से सम्बद्ध है ; 1971 का 17

(च) "विदेशी बीमाकर्ता" से ऐसा विद्यमान बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो भारत के बाहर के किसी देश की विधि के अधीन निगमित हो ;

(छ) "साधारण बीमा कारबार" से अग्नि, समुद्री या प्रकीर्ण बीमा कारबार, चाहे वह अकेले चलाया जाता हो अथवा उनमें से एक या अधिक के साथ-साथ चलाया जाता हो, अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत पूंजी मोचन कारबार और निश्चित वार्षिकी कारबार नहीं है ;

(ज) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है ;

(झ) "भारतीय बीमा कम्पनी" से अंशपूंजी रखने वाला ऐसा विद्यमान बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत कम्पनी हो ;

1938 का 1

(ञ) "बीमा अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है ;

(ट) "जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम,

1956 का 31

1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ण) "स्कीम" से धारा 16 के अधीन बनाई गई स्कीम अभिप्रेत है;

(त) उन सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु इसमें परिभाषित नहीं हैं और बीमा अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं;

(थ) उन सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु इसमें अथवा बीमा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं तथा कम्पनी अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कम्पनी अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय 2

साधारण बीमा कारबार के स्वामित्व का जनसाधारण को अन्तरण

भारतीय बीमा कम्पनियों के अंशों का अन्तरण ।

4. (1) हर भारतीय बीमा कम्पनी की पूंजी में सभी अंश, नियत दिन को, इस अधिनियम के आधार पर, उन सभी न्यासों, दायित्वों और विल्लंगमों से जो उन पर प्रभाव डालते हैं, मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

(2) इस प्रकार अन्तरित और निहित अंशों में से केन्द्रीय सरकार, तत्पश्चात् तुरन्त, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक ऐसी कम्पनी के ऐसे व्यक्तियों को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, दस से अन्यून अंशों के अन्तरण का उपबन्ध इस दृष्टि से करेगी कि भारतीय बीमा कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में कृत्य कर सके ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उन व्यक्तियों के नाम और वर्णन जिन्हें अंश अन्तरित किए गए हैं तथा उन अंशों की विशिष्टियां जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को अन्तरित किए गए हैं, विनिर्दिष्ट होंगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना की प्रति, निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध भारतीय बीमा कम्पनी को भेजेगी जो उस प्रति के प्राप्त होने पर, और कम्पनी

अधिनियम में अथवा अपने संगम-अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, अपने सदस्यों के रजिस्टर को उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करके जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अंशों के धारक के रूप में उसमें वर्णित हैं, तत्काल परिशुद्ध करेगी।

(5) शंकाओं के निराकरण के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी अन्तरण से या विनिहित होने से यह न समझा जाएगा कि यह भारतीय बीमा कम्पनी के किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालता है जो किसी अंशधारक के विरुद्ध कोई राशि इस आधार पर कि अंशधारक ने अपने द्वारा धारित किन्हीं अंशों का पूर्ण मूल्य अथवा उसका कोई भाग बीमाकर्ता को संदत्त नहीं किया है या उसके नाम जमा नहीं किया है अथवा किसी भी अन्य आधार पर, वसूल करने का हो और नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हो।

अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के उपक्रमों का अन्तरण।

5. (1) हर ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता का जो भारतीय बीमा कम्पनी न हो, उपक्रम नियत दिन को केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगा और केन्द्रीय सरकार, तत्पश्चात् तुरन्त, अधिसूचना द्वारा, उस उपक्रम के ऐसे भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तरित होने और उसमें निहित होने का जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, उपबन्ध करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना में यह उपबन्ध हो सकेगा कि पूर्वोक्त उपक्रमों में से कोई भी उपक्रम एक से अधिक भारतीय बीमा कम्पनी को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन अन्तरित और उसमें निहित हो सकेगा जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

उपक्रमों के अन्तरण का प्रभाव।

6. (1) प्रत्येक ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता के उपक्रम के, जो धारा 5 में निर्दिष्ट है, बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत वे सभी आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार और सभी जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति, नकद अतिशेष, आरक्षित निधियां, विनिधान तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले जो उपक्रम के सम्बन्ध में ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में नियत दिन के ठीक पूर्व चाहे वह भारत के भीतर अथवा बाहर हो, अन्य सभी अधिकार और हित, तथा तत्सम्बद्ध किसी भी प्रकार की सभी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर, अभिलेख और अन्य सभी दस्तावेजें हैं तथा विद्यमान बीमाकर्ता के किसी भी प्रकार के सभी उधार, दायित्व और बाध्यताएं, जो उस उपक्रम के सम्बन्ध में विद्यमान हों, भी हैं।

(2) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, किसी भी प्रकार के वे सभी विलेख, बन्धपत्र, करार, मुख्तारनामें, विधिक अभ्यावेदन के अनुदान तथा अन्य लिखतें जो नियत दिन के

ठीक पूर्व विद्यमान हों अथवा प्रभावी हों और जिनमें ऐसा कोई बीमाकर्ता जो धारा 5 में निर्दिष्ट है, पक्षकार हो अथवा जो ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता के पक्ष में हो, उस भारतीय बीमा कम्पनी के विरुद्ध या पक्ष में जिसमें कि वह उपक्रम या उसका भाग जिससे वह लिखत सम्बद्ध हो, निहित हो गया है वैसे ही पूर्ण बल रखेगी और प्रभावी होंगी और वे उसी प्रकार से पूर्णतः और प्रभावी रूप से प्रवर्तित की जा सकेंगी और उन पर कार्य किया जा सकेगा मानो धारा 5 में निर्दिष्ट विद्यमान बीमाकर्ता के स्थान पर वह भारतीय बीमा कम्पनी जिसमें कि उपक्रम अथवा उसका कोई भाग निहित हुआ है, उसका पक्षकार रहा हो अथवा उन्हें उसके पक्ष में जारी किया गया हो।

(3) यदि किसी ऐसे उपक्रम के जो धारा 5 के अधीन अन्तरित किया गया है, कारबार के सम्बन्ध में किसी ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता के द्वारा या उसके विरुद्ध जो उस धारा में निर्दिष्ट है, किसी भी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई लम्बित हो तो उस उपक्रम के अन्तरण के अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन न होगा, न वह समाप्त होगी और न उस पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किन्तु उस वाद, अपील या अन्य विधिक कार्रवाई को उस भारतीय बीमा कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा, अभियोजित किया जा सकेगा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जिसमें कि वह उपक्रम या उसका कोई भाग जिससे कि कार्रवाई सम्बद्ध हो, निहित हुआ है।

(4) शंकाओं के निराकरण के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, विदेशी बीमाकर्ता अथवा जीवन बीमा निगम की दशा में धारा 5 की और पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्ध केवल उस विस्तार तक लागू होंगे जिस तक कि कोई सम्पत्ति, पूर्वकथित की दशा में भारत के भीतर किए जाने वाले साधारण बीमा कारबार से हो और पश्चात्कथित की दशा में साधारण बीमा कारबार, चाहे वह भारत के भीतर या उसके बाहर किया जाए, और ऐसे साधारण बीमा कारबार के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, विदेशी बीमाकर्ता या जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित अधिकारों और शक्तियों से तथा उपगत ऋणों, दायित्वों और बाध्यताओं से, तथा की गई संविदाओं, करारों या अन्य लिखतों से, तथा उन प्रयोजनों से सम्बद्ध विधिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित हों, और उन उपबन्धों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई सम्पत्ति किसी ऐसे साधारण बीमा कारबार से जो इस धारा में निर्दिष्ट है, किसी ऐसे कारबार के प्रयोजनार्थ/यथास्थिति, विदेशी बीमाकर्ता या जीवन बीमा निगम ने कोई अधिकार, शक्तियां, दायित्व या बाध्यताएं अर्जित या उपगत की थीं अथवा कोई संविदा, या करार किया था या लिखत निष्पादित की थी या नहीं अथवा कोई दस्तावेजें उन प्रयोजनों से सम्बद्ध हैं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट

किया जाएगा जो मामले में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसी रीति से विनिश्चित करेगी जो वह ठीक समझे।

विद्यमान कर्मचारियों की सेवाओं का कुछ दशाओं में अन्तरण ।

7. (1) भारतीय बीमा कम्पनी से भिन्न किसी विद्यमान बीमाकर्ता का हर पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसके साधारण बीमा कारबार के संबंध में उस बीमाकर्ता द्वारा पूर्णतः या मुख्य रूप से नियोजित हो वह नियत दिन को, उस भारतीय बीमा कम्पनी का जिसमें कि उस बीमाकर्ता का उपक्रम अथवा उपक्रम का वह भाग जिससे कि वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी सम्बद्ध है, निहित हो गया है, यथास्थिति, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा, और वह भारतीय बीमा कम्पनी के अधीन उन्हीं निबन्धनों और शर्तों और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों सहित अपना पद धारण करेगा या सेवा करता रहेगा जो उसे उस दशा में प्राप्य होते जब इस प्रकार विनिधान न हुआ होता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उस भारतीय बीमा कम्पनी में जिसमें कि उपक्रम या उसका कोई भाग निहित हो गया है, उसका नियोजन पर्यवसित नहीं कर दिया जाता या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धनों और शर्तों में उस भारतीय बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लागू न होगी जिसने केन्द्रीय सरकार को अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को नियत दिन से पूर्व अपने इस आशय को प्रज्ञापित करने वाली अधिसूचना दे दी हो कि वह उस भारतीय बीमा कम्पनी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं होना चाहता जिसमें कि वह उपक्रम या उसका भाग जिससे उसकी सेवा सम्बद्ध हो, निहित हुआ है।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट विद्यमान बीमाकर्ता * * * का पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी नियत दिन के ठीक पूर्व था या नहीं या उसके साधारण बीमा कारबार के सम्बन्ध में पूर्णतः या मुख्य रूप से नियोजित था या नहीं तो वह प्रश्न नियत दिन से दो वर्ष की कालावधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके पश्चात् नहीं जो मामले में सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसी रीति से विनिश्चित करेगी जो वह ठीक समझे और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन * * * किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के स्थानान्तरण से ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हक नहीं होगा और कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी ऐसे किसी दावे को ग्रहण नहीं करेगा। 1947 का 14

भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण तथा अन्य निधियां ।

8. (1) जहां कि किसी विद्यमान बीमाकर्ता ने अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए कोई भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण अथवा अन्य निधि स्थापित की हो और उसके बारे में कोई न्यास (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विद्यमान न्यास कहा गया है) गठित किया हो वहां नियत दिन को ऐसी निधि में जमा सभी धन उन सभी आस्तियों सहित जो ऐसी निधि की ही हों, नियत दिन को भारतीय बीमा कम्पनी में ऐसे न्यास से मुक्त होकर उस दशा में अन्तरित और निहित हो जाएंगे जब विद्यमान न्यास नियत दिन के पूर्व * * * स्थापित किया गया हो।

(2) जहां जीवन बीमा निगम के या विद्यमान किसी अन्य बीमाकर्ता के सब कर्मचारी किसी भारतीय बीमा कम्पनी के कर्मचारी नहीं बन जाते हैं, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि से संबंधित धन और अन्य आस्तियां निधि के न्यासियों और भारतीय बीमा कम्पनी के बीच विहित रीति में प्रभाजित की जाएंगी ; और ऐसे प्रभाजन के संबंध में किसी विवाद की दशा में, केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) जहां किसी विद्यमान बीमाकर्ता का उपक्रम एक से अधिक भारतीय बीमा कम्पनी में निहित हो गया है वहां केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा उस उपक्रम से सम्बद्ध किसी विद्यमान न्यास के धन और अन्य आस्तियों का ऐसी भारतीय बीमा कम्पनियों में ऐसी रीति से जो उसकी राय में समुचित हो, प्रभाजन का उपबंध कर सकेगी ।

(4) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र भारतीय बीमा कम्पनी उन सभी धनों और आस्तियों के बारे में जो उसे इस धारा के अधीन अन्तरित हों और उसमें निहित हों, एक या अधिक ऐसे न्यासों का गठन करेगी जिनके उद्देश्य विद्यमान न्यासों के उद्देश्यों के उस सीमा तक समान हों जो उन परिस्थितियों में व्यवहारिक हों।

(5) जहां कि किसी विद्यमान न्यास के सभी धन तथा अन्य आस्तियां इस धारा के अधीन किसी भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएं वहां ऐसे न्यासों के न्यासी, नियत दिन से ही न्यास से, उन बातों को छोड़कर जो नियत दिन के पूर्व की गई हों या की जाने से लुप्त की गई हों, उन्मोचित हो जाएंगे ।

अध्याय 3

भारतीय साधारण बीमा निगम

भारतीय साधारण बीमा निगम का बनाया जाना ।

9. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र केन्द्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार के अधीक्षण, नियंत्रण तथा चलाए जाने के लिए एक सरकारी कम्पनी जो भारतीय साधारण बीमा निगम कहलाएगी, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनाएगी ।

(2) निगम की प्राधिकृत पूंजी पचहत्तर करोड़ रुपए होगी जो एक सौ रुपए के पूर्ण समादत्त पचहत्तर लाख अंशों में विभक्त होगी जिसमें से पांच करोड़ रुपए निगम की आरम्भिक पूंजी होगी ।

1956 का 1

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, निगम के नाम के अन्तिम शब्द के रूप में "लिमिटेड" शब्द को जोड़ना आवश्यक नहीं होगा ।

केन्द्रीय सरकार में निहित अंशों का निगम को अन्तरण ।

10. उन अंशों को छोड़कर जो किसी व्यक्ति को धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अन्तरित हुए हों, प्रत्येक भारतीय बीमा कम्पनी की पूंजी में वे सभी अंश जो उस धारा के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो गए हैं, ऐसे निहित होने के तुरन्त पश्चात् निगम को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे और प्रत्येक भारतीय बीमा कम्पनी अंशों के ऐसे अन्तरण को तत्काल प्रभावी बनाएगी और रजिस्टर में निगम को उन अंशों के धारक के रूप में सम्मिलित करके उसे परिशुद्ध करेगी ।

अध्याय 4

अर्जन के लिए रकमों का संदत्त किया जाना

अंशों या उपक्रमों के अन्तरण और निहित होने के लिए रकमों का संदत्त किया जाना ।

11. (1) प्रत्येक भारतीय बीमा कम्पनी के अंशों के धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित होने के लिए, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक ऐसी कम्पनी के अंशधारकों को वितरित किए जाने के लिए, निगम को वह रकम संदत्त करेगी जो अनुसूची के भाग क के स्तंभ 3 के नीचे की तत्स्थानी प्रविष्टि में उस कम्पनी के सामने विनिर्दिष्ट है ।

(2) प्रत्येक ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता के जो भारतीय बीमा कम्पनी न हो, उपक्रम के धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित होने के लिए केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता को संदाय के लिए, निगम को वह रकम संदत्त करेगी जो अनुसूची के भाग ख के स्तम्भ 3 के नीचे की तत्स्थानी प्रविष्टि में उस बीमाकर्ता के सामने विनिर्दिष्ट है ।

निगम द्वारा रकम का संवितरण ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 11 के अधीन दी गई कुल रकम को निगम की अभिदत्त पूंजी का अतिरिक्त अभिदाय माना जाएगा और ऐसी अतिरिक्त अभिदत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार को आबंटित और उसमें निहित हो जाएगी ।

(2) निगम अपने को धारा 11 के अधीन संदत्त की गई रकम प्रत्येक भारतीय बीमा कम्पनी के तथा प्रत्येक ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता के जो भारतीय बीमा कम्पनी न हो, अंशधारकों को उनके अधिकारों और हितों के अनुसार वितरित करेगा और ऐसी पूर्ण रकम या उसके किसी भाग को प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार या अधिकार के विस्तार के बारे में कोई शंका या विवाद होने पर उस शंका या विवाद का अवधारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित करेगा और तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अवधारण के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय धारा 10 में निर्दिष्ट रकम, यथास्थिति, धारा 12, धारा 13 या धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार दी जाएगी ।

संदाय का ढंग ।

13. (1) जहां धारा 11 में निर्दिष्ट रकम—

(क) किसी भारतीय बीमा कम्पनी के सदस्यों को दी जानी है, वहां प्रत्येक ऐसे सदस्य को देय रकम उसे पूर्णतः उस दशा में संदत्त की जाएगी जब वह पच्चीस हजार रुपए से अधिक न हो और जहां

वह पच्चीस हजार रुपए से अधिक हो वहां ऐसे प्रत्येक सदस्य को पच्चीस हजार रुपए संदत्त किए जाएंगे और ऐसे सदस्य को संदेय रकम का अतिशेष तीन बराबर की वार्षिक किस्तों में उसे संदत्त किया जाएगा जिनमें से प्रथम नियत दिन को देय होगी;

(ख) किसी विदेशी बीमाकर्ता को दी जानी है, वहां वह उसे नियत दिन से तीन मास के भीतर नकद संदत्त की जाएगी;

(ग) जीवन बीमा निगम को दी जानी है, वहां वह उसे तीन बराबर की वार्षिक किस्तों में दी जाएगी जिसमें से प्रथम नियत दिन को देय होगी ;

(घ) किसी ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता को दी जानी है जो सहकारी सोसाइटी है वहां वह नियत दिन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र सोसाइटी के ऐसे नियमों के अनुसार वितरित की जाएगी जो सोसाइटी के विघटन की दशा में लागू होंगे ;

(ङ) पूर्वगामी उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी विद्यमान बीमाकर्ता को दी जानी है, वहां वह उन व्यक्तिगत पालिसीधारकों में जिनकी उस बीमाकर्ता में पालिसियां नियत दिन को प्रवृत्त हों और उस बीमाकर्ता के उपक्रम में समाविष्ट हो, उन पालिसीधारकों द्वारा ऐसी पालिसियों के अधीन संदत्त किए गए प्रीमियमों के अनुपात के अनुसार अर्जक कम्पनी द्वारा प्रभाजित की जाएगी और ऐसा हर संदाय या तो--

(i) डाक मनीआर्डर द्वारा भेज कर नकद किया जाएगा, या

(ii) पालिसीधारक के विकल्पानुसार, पालिसी के नवीकरण के समय पर देय प्रीमियम में कटौती करके किया जाएगा और ऐसे विकल्प का प्रयोग पालिसीधारक नियत दिन से तीन मास के अवसान के पूर्व (या तीन मास से अनधिक उतने अतिरिक्त समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार, पालिसीधारक के आवेदन पर, अनुज्ञात करे) किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अन्तिम होगा और प्रयुक्त होने के पश्चात् परिवर्तित या विखण्डित नहीं किया जाएगा :

परन्तु उस दशा में जब कोई पालिसीधारक अनुज्ञात समय के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता तो यह समझा जाएगा कि उसने डाक मनीआर्डर द्वारा नकद संदाय के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है ।

(2) जहां इस धारा के उपबन्धों के अधीन कोई रकम किस्तों में या अन्यथा संदेय है वहां प्रत्येक ऐसी असंदत्त रकम पर जो देय हो गई है, नियत दिन से चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा ।

अंशधारकों को संदेय रकम का उनके बजाय नामित व्यक्तियों को कुछ दशाओं में दिया जाना।

14. (1) इस अधिनियम में कहीं भी किसी बात के होते हुए भी यदि उन व्यक्तियों में से जो किसी भारतीय बीमा कम्पनी की पुस्तकों में उसके सदस्यों के रूप में नियत दिन के ठीक पूर्व रजिस्ट्रीकृत हों और उस बीमा कम्पनी को संदेय रकम में दो-तिहाई मूल्य के अधिकारी हों, बहुमत, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए अधिवेशन पर या तो स्वयं या परोक्षी द्वारा सहमत हो जाएं कि इस प्रकार संदेय रकम, किसी कारबार को चलाने के प्रयोजनार्थ, सदस्यों को वितरित किए जाने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को दे दी जाए जिसे वे सदस्य उसी अधिवेशन में बाद में नामनिर्दिष्ट करें और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि उन व्यक्तियों के अपने-अपने अंशों के मूल्य के संदाय के लिए जो उस संकल्प से विसम्मत रहे हैं, सम्यक् उपबन्ध कर दिया गया है या कर दिया जाएगा तो वह रकम इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन दी जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

(2) नियत दिन * * * के पश्चात् किए गए किसी ऐसे अधिवेशन में जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अधिवेशन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् न बुलाया गया हो।

प्रतिकर के लिए परस्पर विरोधी दावों की दशा में न्यायालय में संदाय।

15. जहां धारा 10 के अधीन संदेय प्रतिकर का दावा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध किया जाए वहां निगम उस रकम को अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय में जमा कराएगी और वह न्यायालय विनिश्चय करेगा कि संदाय किस को किया जाए।

अध्याय 5

साधारण बीमा कारबार के पुनर्गठन के लिए स्कीम

कम्पनियों के विलयन आदि के लिए स्कीमें।

16. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि साधारण बीमा कारबार को और दक्षतापूर्वक चलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों का उपबन्ध करने वाली एक या अधिक स्कीमें, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी :—

(क) किसी एक भारतीय बीमा कम्पनी में किसी अन्य भारतीय बीमा कम्पनी का विलयन, अथवा दो या अधिक भारतीय बीमा कम्पनियों के समामेलन द्वारा किसी नई कम्पनी का बनाया जाना;

(ख) किसी ऐसी भारतीय बीमा कम्पनी के जो स्कीम के कारण विद्यमान नहीं रह जाती, उपक्रम का (जिसके अन्तर्गत उसका सभी कारबार, सम्पत्तियां, आस्तियां तथा दायित्व भी है) अर्जक कम्पनी को अन्तरण तथा उसमें निहित होना ;

(ग) अर्जक कम्पनी का गठन, नाम तथा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और पूंजी संरचना तथा अंशों का जारी किया जाना और आबंटन ;

(घ) अर्जक कम्पनी के प्रबन्ध के लिए प्रबन्ध बोर्ड का गठन, चाहे उसका कोई भी नाम हो ;

(ङ) अर्जक कम्पनी के संगम-ज्ञापन तथा संगम-अनुच्छेदों का ऐसे प्रयोजनों के लिए परिवर्तन जो स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो ;

(च) उस भारतीय बीमा कम्पनी के जो स्कीम के कारण विद्यमान नहीं रह गई है सभी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का अर्जक कम्पनी में उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जो स्कीम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उन्हें, यथास्थिति, प्राप्त थे या जिनके द्वारा वह शासित थे, बना रहना ;

(छ) जहां कहीं आवश्यक हो ***अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों का सुव्यवस्थीकरण अथवा पुनरीक्षण ;

(ज) उस भारतीय बीमा कम्पनी के जो स्कीम के कारण विद्यमान नहीं रह गई है, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों से सम्बद्ध भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण तथा अन्य निधियों का अर्जक कम्पनी को अन्तरण ;

(झ) ऐसी भारतीय कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध जो स्कीम के कारण विद्यमान नहीं रह गई है, लम्बित विधिक कार्यवाहियों का अर्जक कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चलते रहना, तथा ऐसी सिविल अथवा दाण्डिक विधिक कार्यवाहियों का आरम्भ किया जाना जो वह भारतीय बीमा कम्पनी उस दशा में आरम्भ कर सकती थी जब उसका विद्यमान रहना समाप्त न होता ;

(ञ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक तथा अनुपूरक विषय जो स्कीम को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्कीमें बनाने में केन्द्रीय सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने का होगा कि अन्ततः (निगम को छोड़ कर) केवल चार कम्पनियां ही विद्यमान रह जाएं और वे इस प्रकार स्थित हों कि वे भारत के सभी भागों में संयुक्त रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें ।

(3) जहां कि उपधारा (1) के अधीन कोई स्कीम किस सम्पत्ति या दायित्वों के अन्तरण का उपबन्ध करती है वहां वह सम्पत्ति अर्जक कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएगी और वे दायित्व अर्जक कम्पनी को अन्तरित हो जाएंगे और उसके दायित्व हो जाएंगे ।

(4) यदि किसी स्कीम के अधीन किसी वेतनमान अथवा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों का सुव्यवस्थीकरण या पुनरीक्षण किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को प्रतिग्राह्य न हो तो जब तक कि ऐसे कर्मचारी के साथ सेवा की संविदा पर्यवसान के लिए किसी लघुतर सूचना का उपबन्ध न करती हो, अर्जक कम्पनी उसे तीन मासों के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर देकर उसका नियोजन पर्यवसित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को संदेय प्रतिकर किसी ऐसी पेंशन, उपदान, भविष्य निधि या अन्य फायदे पर कोई प्रभाव न डालेगा जिसका कि वह कर्मचारी अपनी सेवा की संविदा के अधीन हकदार हो तथा उनके अतिरिक्त होगा ।

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी भारतीय बीमा कम्पनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का अन्तरण ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न बनाएगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा । 1947 का 14

(6) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में, अधिसूचना द्वारा, वृद्धि कर सकेगी, संशोधन कर सकेगी अथवा फेरफार कर सकेगी ।

(7) इस धारा के तथा उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबन्ध तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी करार, पंचाट या अन्य लिखत में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

स्कीमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

17. धारा 16 के अधीन बनाई गई प्रत्येक स्कीम तथा उसमें किए गए प्रत्येक संशोधन को, उसके बनाए या किए जाने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 6

निगम तथा अर्जक कम्पनियों के कृत्य तथा उनका प्रबन्ध

निगम के कृत्य ।

18. (1) निगम के कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) साधारण बीमा कारबार के किसी भाग का उस दशा में चलाया जाना जब वह ऐसा करना वांछनीय समझे ;

(ख) साधारण बीमा कारबार में संचालन तथा सुव्यवस्थित व्यवसाय के मानकों को निश्चित करने के विषय में तथा साधारण बीमा पालिसियों के धारकों की दक्षतापूर्वक सेवा करने के विषय में अर्जक कम्पनियों को सहारा देना उनकी सहायता करना तथा उन्हें सलाह देना ;

(ग) अर्जक कम्पनियों को उनके व्ययों पर जिनके अन्तर्गत कमीशन का संदाय तथा अन्य व्यय भी हैं, नियंत्रण रखने के विषय में सलाह देना;

(घ) अर्जक कम्पनियों को उनकी निधियों के विनिधान के विषय में सलाह देना;

(ङ) अर्जक कम्पनियों को साधारण बीमा कारबार के संचालन के सम्बन्ध में * * * निदेश जारी करना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी करने में निगम यावत्-सम्भव अर्जक कम्पनियों के बीच में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने की वांछनीयता का इस दृष्टि से ध्यान रखेगी कि उनकी सेवाएं अधिक दक्षतापूर्ण हों ।

अर्जक कम्पनियों के कृत्य ।

19. (1) हर अर्जक कम्पनी का यह कार्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के, यदि कोई हों, तथा अपने संगम-ज्ञापन तथा संगम-अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए साधारण बीमा कारबार चलाए ।

(2) प्रत्येक अर्जक कम्पनी इस अधिनियम के अधीन * * * इस प्रकार कार्य करेगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि साधारण बीमा कारबार का विकास ऐसा हो जिससे जनसमुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचे ।

(3) प्रत्येक अर्जक कम्पनी अपने कृत्यों के निर्वहन में, यावत्शक्य, कारबार के सिद्धान्तों पर कार्य करेगी और जहां कि निगम द्वारा कोई निदेश जारी किए गए हों वहां उसका मार्गदर्शन ऐसे निदेशों से होगा ।

(4) शंकाओं के निराकरण के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निगम तथा कोई अर्जक कम्पनी, ऐसे नियमों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, पुनः बीमा की ऐसी संविदाएं अथवा ऐसी पुनः बीमा संधियां कर सकेगी जो वह अपने हितों की संरक्षा के लिए ठीक समझे ।

लाभ के अतिशेष का उपयोग किस प्रकार किया जाए ।

20. (1) डूबे तथा शंकास्पद ऋण, आस्तियों में अवक्षयण, भविष्य, अधिवार्षिकी, कल्याण तथा अन्य निधियों, सरकार को देय ऋणों का तथा अन्य सभी ऐसे विषयों का जिनका उपबन्ध किसी विधि के अधीन आवश्यक हो अथवा जिनके लिए सामान्यतः बीमा कम्पनियां उपबन्ध करती हैं, उपबन्ध करने के पश्चात् हर अर्जक कम्पनी लाभ के अतिशेष को लाभांशों के रूप में वितरित करेगी ।

(2) निगम द्वारा प्राप्त किसी लाभ तथा निगम द्वारा लाभांश के रूप में या अन्यथा प्राप्त किन्हीं राशियों के साथ ऐसी रीति से संव्यवहार किया जाएगा जिसे विहित किया जाए ।

भारतीय बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध के लिए अन्तरिम उपबन्ध ।

21. (1) कम्पनी अधिनियम में अथवा किसी भारतीय बीमा कम्पनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ही और तब तक जब तक कि भारतीय बीमा कम्पनी का नया निदेशक बोर्ड सम्यक् रूप से गठित नहीं कर दिया जाता, कम्पनी का प्रबन्ध उस अधीक्षक में निहित बना रहेगा जो नियत दिन के ठीक पूर्व, साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के आधार पर उस कम्पनी के उपक्रम के प्रबन्ध का भारसाधक हो और ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे, अभिरक्षक उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और वे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिन्हें कम्पनी अथवा उसका निदेशक बोर्ड प्रयुक्त कर सकता हो या कर सकता ।

1971 का 17

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह उस उपधारा में निर्दिष्ट कालावधि के दौरान किसी भारतीय बीमा कम्पनी के उपक्रम के प्रबन्ध का भारसाधन लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उस दशा में जब कि किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक हो जाए नियुक्त करने से केन्द्रीय सरकार को निवारित करती है, और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और वे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिन्हें अभिरक्षक उपधारा (1) के अधीन प्रयुक्त कर सकता हो या कर सकता हो।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिरक्षक तथा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे वेतन और अन्य भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

कर्मचारियों का अन्तरण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

22. केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी अर्जक कम्पनी या निगम से किसी अधिकारी या कर्मचारी को, यथास्थिति, किसी अन्य अर्जक कम्पनी या निगम को अन्तरित कर सकेगी और इस प्रकार अन्तरित किए गए अधिकारी या कर्मचारी को सेवा की वही शर्तें और निबन्धन लागू होते रहेंगे जो उसे ऐसे अन्तरण के तुरन्त पूर्व लागू होते थे।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

23. निगम और प्रत्येक अर्जक कम्पनी अपने कार्यों के निर्वहन में नीति संबंधी विषयों पर जो लोकहित से संबद्ध हैं ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगी जो केन्द्रीय सरकार दे।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

अर्जक कम्पनियों का साधारण बीमा कारबार करने का अनन्य विशेषाधिकार होना।

24. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित सीमा के सिवाय, नियत दिन से, ही निगम और अर्जक कम्पनियों को भारत में साधारण बीमा कारबार करने का अनन्य विशेषाधिकार होगा।

(2) धारा 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता से भिन्न किसी बीमाकर्ता को बीमा अधिनियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र, नियत दिन से, ही प्रभावी न रह जाएगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा कारबार और पूंजी मोचन और निक्षिप्त वार्षिकी कारबार को लागू नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना भारत में स्थित सम्पत्तियों का विदेशी बीमाकर्ताओं से बीमा न कराया जाना।

25. (1) कोई भी व्यक्ति भारत में स्थित किसी सम्पत्ति की बाबत या भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या अन्य जलयान या वायुयान की बाबत किसी ऐसे बीमाकर्ता से, जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत से बाहर हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, बीमा की कोई पालिसी न तो लेगा और न नवीकृत कराएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

1961 का 43

अर्जक कम्पनियां और आय-कर।

26. आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक अर्जक कम्पनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय कम्पनी तथा ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है।

कुछ मामलों में बीमा की रकम कम करने की शक्ति।

27. कोई अर्जक कम्पनी, 13 मई, 1971 को अपनी वित्तीय स्थिति को, या उक्त तारीख को किसी ऐसे विद्यमान बीमाकर्ता की, जिसका उपक्रम इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित या उसमें निहित हो गया हो, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त तारीख के पूर्व की गई साधारण बीमा की संविदाओं के अधीन उद्भूत दायित्वों को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के पूर्व के अधीन रहते हुए कम कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसी कोई कमी अर्जक कम्पनी द्वारा इस निमित्त की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट प्रस्थापनाओं के अनुसार ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

कुछ संव्यवहारों की बाबत अनुतोष पाने का अर्जक कम्पनी का अधिकार।

28. (1) जहां कि किसी विद्यमान बीमाकर्ता ने 13 मई, 1971 के पूर्व के पांच वर्षों के भीतर किसी भी समय—

(क) किसी व्यक्ति को प्रतिफल के बिना कोई संदाय किया हो,

(ख) बीमाकर्ता की किसी सम्पत्ति को प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल पर बेचा हो या व्ययनित किया हो,

(ग) किसी सम्पत्ति या अधिकारों को अत्यधिक प्रतिफल पर अर्जित किया हो,

(घ) ऐसा कोई करार किया हो या उसमें फेरफार किया हो जिससे बीमाकर्ता को अत्यधिक प्रतिफल संदत्त करना या देना पड़े,

(ङ) ऐसी दुर्भर प्रकृति का अन्य कोई संव्यवहार किया हो जिससे बीमाकर्ता को प्रोद्भूत फायदे से अधिक कोई हानि उसे हो जाए या उस पर कोई दायित्व अधिरोपित हो जाए,

और वह संदाय, विक्रय, व्ययन, अर्जन, करार या उसमें फेरफार या अन्य संव्यवहार उस बीमाकर्ता के साधारण बीमा कारबार के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक न हो या वह बीमाकर्ता की प्रज्ञा के अनुचित अभाव के कारण किया गया हो, वहां किसी भी दशा में उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अर्जक कम्पनी ऐसे संव्यवहार की बाबत अनुतोष के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकेगी और जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश दे, उस संव्यवहार के सभी पक्षकार उस आवेदन में पक्षकार बनाए जाएंगे।

(2) जिस सीमा तक आवेदन करने वाले पक्षकार संव्यवहार के लिए क्रमशः उत्तरदायी हों या उससे लाभान्वित हुए हों उस सीमा को और मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय आवेदन के किसी भी पक्षकार के विरुद्ध ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(3) जहां किसी संव्यवहार की बाबत इस उपधारा के अधीन न्यायालय को आवेदन किया गया हो और आवेदन अर्जक कम्पनी के पक्ष में विनिश्चित कर दिया गया हो वहां न्यायालय को संव्यवहार की बाबत बकाया किसी भी दावे को विनिश्चित करने की अनन्य अधिकारिता होगी।

* * * * *

सम्पत्ति का कब्जा और उससे सम्बन्धित दस्तावेजें परिदत्त करने का कर्तव्य ।

29. (1) जहां किसी विद्यमान बीमाकर्ता से सम्बद्ध कोई सम्पत्ति धारा 5 के अधीन किसी भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तरित या उसमें निहित की गई हो वहां,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी सम्पत्ति हो, भारतीय बीमा कम्पनी को वह सम्पत्ति तत्काल परिदत्त करेगा ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में विद्यमान बीमाकर्ता से सम्बन्धित कोई पुस्तकें, दस्तावेजें या अन्य कागज-पत्र ऐसे निहित होने के ठीक पहले हों, भारतीय बीमा कम्पनी को उक्त पुस्तकों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों का हिसाब देने का दायी होगा और उन्हें उस कम्पनी को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह कम्पनी निदेशित करे, परिदत्त करेगा ।

(2) विशिष्टतः, किसी विद्यमान बीमाकर्ता की उपक्रम से सम्बद्ध सब आस्तियां, जो बीमा अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप के रूप में या न्यासियों द्वारा न्यास के रूप में धारित हों, भारतीय बीमा कम्पनी को परिदत्त की जाएंगी ।

(3) इस धारा के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक भारतीय बीमा कम्पनी के लिए उन सब सम्पत्तियों का, जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित या उसमें निहित हो गई हों, कब्जा लेने के लिए सब आवश्यक कार्यवाही करना विधिपूर्ण होगा ।

सम्पत्ति आदि विधारित करने के लिए शास्ति ।

30. यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति या किन्हीं पुस्तकों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को, जो उसके कब्जे में हों, जानबूझकर विधारित करेगा या उन्हें धारा 29 द्वारा यथा अपेक्षित किसी भारतीय बीमा कम्पनी को परिदत्त नहीं करेगा या किसी विद्यमान बीमाकर्ता की किसी सम्पत्ति का, जो धारा 5 के अधीन किसी भारतीय बीमा कम्पनी को अन्तरित या उसमें निहित हो गई हो, विधिविरुद्ध कब्जा रखेगा या किसी ऐसी सम्पत्ति का इस अधिनियम में अभिव्यक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए जानबूझकर उपयोग करेगा तो वह, भारतीय बीमा कम्पनी के परिवाद पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

निगम या अर्जक कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

31. निगम का या किसी अर्जक कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9 के प्रयोजनों के लिए लोक सेवक समझा जाएगा । 1860 का 45

क्षतिपूर्ति ।

32. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक अधिकारी और निगम या अर्जक कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी की, इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनके सम्बन्ध में हुई ऐसी सब हानियों तथा उसके द्वारा उपगत

व्ययों के लिए, जिनमें वे नहीं हैं जो जानबूझकर किए गए उसके स्वयं के कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए हों, क्षतिपूर्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निगम या अर्जक कम्पनी द्वारा की जाएगी ।

निगम और अर्जक कम्पनियों का विघटन ।

33. कम्पनियों के परिसमापन से सम्बद्ध विधि का कोई भी उपबन्ध निगम या किसी अर्जक कम्पनी को लागू न होगा और न तो निगम और ऐसी कोई कम्पनी केन्द्रीय सरकार के आदेश से और ऐसी रीति से, जो वह निदेशित करे, किए जाने के सिवाय समापनाधीन नहीं की जाएगी ।

अन्य विधियों में विद्यमान बीमाकर्ता के प्रति निर्देश ।

34. इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी विद्यमान बीमाकर्ता के प्रति किसी निर्देश का अर्थ वहां तक जहां तक कि वह किसी अर्जक कम्पनी से सम्बन्धित हो यह लगाया जाएगा कि वह उस कम्पनी के प्रति निर्देश है ।

बीमा अधिनियम का लागू होना ।

35. ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसी केन्द्रीय सरकार अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बीमा अधिनियम की केवल निम्नलिखित धाराएं निगम को और प्रत्येक अर्जक कम्पनी को या उसके सम्बन्ध में, यावत्शक्य, ऐसे लागू होंगी मानो, यथास्थिति, वह निगम या कम्पनी उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत साधारण बीमा कारबार करने वाला कोई बीमाकर्ता हो ।

छूट ।

36. (1) इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित में लागू नहीं होगी—

(क) राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले किसी साधारण बीमा कारबार को, जहां तक ऐसा बीमा राज्य सरकार की सम्पत्तियों से या पूर्णत: या मुख्यत: राज्य सरकार के स्वामित्व के उपक्रमों से संबंधित है; या उन सम्पत्तियों को जो अर्ध-सरकारी निकायों से या राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अधीन स्थापित किसी बोर्ड या निगमित निकाय से, या किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम से संबंधित है जिसमें राज्य सरकार का शेयर धारक, उधार देने वाले के या प्रत्याभूतिदाता के रूप में पर्याप्त वित्तीय हित है ;

(ख) खण्ड (क) के भीतर न आने वाले किसी ऐसे साधारण बीमा कारबार को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, उस सीमा तक जिस तक ऐसे कारबार को चलाने की अनुज्ञा देना आवश्यक हो :

परन्तु इस उपखण्ड की कोई भी बात राज्य सरकार को कोई नई पालिसी जारी करने या किन्हीं विद्यमान पालिसियों को नवीकृत करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी ;

(ग) किसी ऐसे बीमाकर्ता को, जिसके कारबार का स्वेच्छा से या न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो ;

(च) कलकत्ता हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम बेनिफिट एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा बीमा कारबार ;

(ङ) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात प्रत्यय और प्रत्याभूति निगम लिमिटेड और निक्षेप बीमा निगम द्वारा चलाया जा रहा बीमा कारबार ;

(च) 14 मई, 1971 के ठीक पहले विद्यमान कोई स्कीम या फसलों के या पशुओं के या बाढ़ से खतरों के या युद्ध या आपातकालीन खतरों के बीमा के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उक्त तारीख के पश्चात् बनाई गई कोई स्कीम ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि कोई बीमाकर्ता चाहे वह नियत दिन के पूर्व या पश्चात् स्थापित किया गया हो केवल ऐसा साधारण बीमा कारबार करता है जो बीमाकर्ताओं द्वारा साधारणतया नहीं किया जाता है, तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे बीमाकर्ता को लागू न होगी ।

रिक्तियों आदि, से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

37. निगम या किसी अर्जक कम्पनी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि निगम या कम्पनी में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

38. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या निगम या अर्जक कम्पनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

39. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे —

* * * * * *

(क) वह रीति जिससे निगम को प्राप्त लाभ, यदि कोई हों, और अन्य धन का संव्यवहार किया जा सकेगा ;

(ख) वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए निगम और अर्जक कम्पनियां साधारण बीमा कारबार कर सकेंगी ;

(ग) वे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन पुनः बीमा संविदाएं या संधियां की जा सकेंगी ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना दी जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा ;

(ङ) वे रिपोर्टें जो केन्द्रीय सरकार निगमित और अर्जक कम्पनियों से मांग सकेगी ;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 35 के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या निकाली जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखा जाएगा या रखी जाएगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त क्रमवर्ती सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम या अधिसूचना, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या होगी या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिल-करण उस नियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

40. साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 की धारा 14 का लोप किया जाता है । 1971 के अधिनियम 17 की धारा 14 का लोप।

अनुसूची

(धारा 11 देखिए)

संदत्त की जाने वाली रकम

भाग क

क्रम संख्या	भारतीय बीमा कम्पनी का नाम		संदत्त की जाने वाली रकम
(1)	(2)		(3)
			रुपए
1.	आल इण्डिया जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड		10,00,000
2.	आनन्द इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	अधिमानी अंश	3,50,000
		साधारण अंश	2,00,000
3.	भाभा मेरीन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड		54,448
4.	भारत जनरल रिइंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	अधिमानी अंश	8,18,000
		मामूली अंश	13,49,844
5.	ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड		37,50,000

(1)	(2)	(3)
		रुपए
6.	कलकत्ता इंश्योरेंस लिमिटेड	7,49,442
7.	सेंट्रल मरकेंटाइल एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	3,38,499
8.	क्लाइव इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	26,12,600
9.	कामनवैल्थ ऐश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1,000
10.	कन्फार्ड आफ इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	39,77,100
11.	देवकरन नानजी इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	16,80,000
12.	जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड	8,06,000
13.	हरक्युलिस इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	87,48,000
14.	हिंदुस्तान जनरल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड	15,52,500
15.	हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	25,20,605
16.	हावड़ा इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	975
17.	हुक्मचन्द इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	10,00,000
18.	इंडिया रिइंश्योरेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	2,05,02,200
19.	इंडियन गारन्टी एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1,95,69,760
20.	इंडियन मरकेंटाइल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	50,33,195
21.	इंडियन मरचेंट्स मेरीन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	2,28,753
22.	इंडियन ओशन इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1,00,000
23.	इंडियन ट्रेड एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	61,21,200
24.	जलनाथ इंश्योरेन्स लिमिटेड	10,42,055
25.	जूपीटर जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटड	26,24,445
26.	कल्याण मेरीन इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,79,880
27.	लिबर्टी इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
28.	मद्रास मोटर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,77,79,600
29.	मदुरा इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अधिमानी अंश	700
	सामूली अंश	15,83,900
	आस्थगित अंश	12,500
30.	मेरीन एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	8,95,300
31.	मदर इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	74,4,345
32.	मोटर ओनर्स इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,65,575
33.	नारन जी भानभाई एण्ड कम्पनी लिमिटेड	49,200
34.	नरहरि मेरीन इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	2,36,400
35.	नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	60,58,150
36.	नेप्च्यून एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	10,00,000
37.	न्यू ग्रेट इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड	43,50,000

(1)	(2)	(3)
		रुपए
38.	न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	8,20,37,678
39.	न्यू मर्चेन्ट्स इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	68,912
40.	न्यू प्रीमियर इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,21,110
41.	नार्दन इंडिया जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	998
42.	ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	2,43,98,000
43.	पाण्डयन इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	90,00,000
44.	पायनियर फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	11,82,610
45.	पोरवन्दर इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	59,194
46.	प्राची इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	21,375
47.	रूबी जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,38,74,000
48.	श्री महासागर बीमा कम्पनी लिमिटेड	1,18,252
49.	साऊथ इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	60,63,000
50.	स्टर्लिंग जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अधिमानी अंश	23,000
	मामूली अंश	16,08,139
51.	ट्रिटन इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	47,07,180
52.	यूनाइटेड इन्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	21,39,991
53.	यूनीवर्सल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	24,71,618
54.	वेन्गार्ड इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	896
55.	वल्कन इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	32,49,617

भाग ख

क्रम संख्या	बीमाकर्ता का नाम	संदत्त की जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)
		रुपए
1.	कोआपरेटिव फायर एण्ड जनरल इंश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड	18,69,000
2.	कोआपरेटिव जनरल इंश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड	5,93,000
3.	इन्डियन म्युच्अल जनरल इन्श्योरेन्स सोसायटी लिमिटेड	1,40,000
4.	लाइफ़ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन आफ़ इन्डिया	2,81,34,000
5.	मिलोनर्स म्यूच्अल इन्श्योरेन्स एसोसिएशन लिमिटेड	12,89,000
6.	उड़ीसा कोआपरेटिव इन्श्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड	2,83,000
7.	रिइन्श्योरेन्स एसोसिएशन आफ़ इन्डिया (इन्टरनेशनल) लिमिटेड	13,000

(1)	(2)	(3)
		रुपए
8.	यूनियन कोआपरेटिव इन्श्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड	37,60,000
9.	ऐलायन्स ऐश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	36,65,000
10.	अमेरिकन इन्श्योरेन्स कम्पनी	3,30,000
11.	एटलस एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	64,85,000
12.	बेलोइस इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	22,67,000
13.	ब्रिटिश एविएशन इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
14.	केलेडोनियन इन्श्योरेन्स कम्पनी	81,000
15.	सेन्चुअरी इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	6,04,000
16.	कार्मशियल यूनियन एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	85,20,000
17.	ईगिल स्टार इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	37,12,000
18.	जर्लिंग ग्लोबल रिइन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
19.	ग्रेट अमेरिकन इन्श्योरेन्स कम्पनी	3,81,000
20.	गार्डियन ऐश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	19,98,000
21.	हनोवर इन्श्योरेन्स कम्पनी	42,13,000
22.	हार्टफोर्ड फायर इन्श्योरेन्स कम्पनी	2,96,000
23.	होम इन्श्योरेन्स कम्पनी	3,73,000
24.	लीगल एण्ड जनरल एश्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड	5,28,000
25.	लिवरपूल एण्ड लन्डन एण्ड ग्लोब इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	8,23,000
26.	लन्डन एश्योरेन्स	12,30,000
27.	लन्डन गारण्टी एण्ड एक्सीडेन्ट कम्पनी लिमिटेड	40,000
28.	लन्डन एण्ड लंकाशायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	47,70,000
29.	एल० यूनियन फायर एक्सीडेन्ट एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
30.	नेशनल एम्प्लायर्स म्युचूअल जनरल इन्श्योरेन्स एसोसिएशन लिमिटेड	3,17,000
31.	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ़ न्यूजीलैण्ड लिमिटेड	1,000
32.	न्यू हैम्पशायर इन्श्योरेन्स कम्पनी	19,08,000
33.	न्यूजीलैण्ड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	10,84,000
34.	नार्विच यूनियन फायर इन्श्योरेन्स सोसाइटी लिमिटेड	31,43,000
35.	फानेक्स एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	2,63,000
36.	प्राविन्शियल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
37.	क्वीन्स्लैण्ड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	10,31,000
38.	रायल एक्सचेंज एश्योरेन्स	49,62,000
39.	रायल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	73,28,000
40.	स्काटिश यूनियन एण्ड नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी	43,15,000
41.	स्केन्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000

(1)	(2)	(3)
		रुपए
42.	साउथ ब्रिटिश इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	18,42,000
43.	सन इन्श्योरेन्स आफिस लिमिटेड	25,86,000
44.	स्विट्ज़रलैंड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	6,35,000
45.	थ्रे डनीडिल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
46.	टोकियो मेरीन एण्ड फ़ायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	92,000
47.	यूनियन इन्श्योरेन्स सोसाइटी आफ़ कैन्टन लिमिटेड	5,89,000
48.	यूनाइटेड स्काटिश इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	83,000
49.	वेलफ़ेयर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000
50.	वेस्टर्न एश्योरेन्स कम्पनी	13,92,000
51.	यार्कशायर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	16,31,000
52.	ज्यूरिक इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	1,000

M 678 M of Law/72—25-8-72—425 Copies—GIPF.